

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
21 ⁰⁷ / ₂₀₂₀	<p>आमलख उपस्थापित। आवेदक दुम्बी बोयपाई, पिता- स्व० नागेन्द्र बोयपाई, ग्राम-गंजडा, टोला- बानागुट्ट, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- लुपुंगुट्ट, थाना नं०-645, खाता नं०-215, प्लॉट नं०-92, रकबा- 0.10 एकड़ भूमि क्रेता सेलाय सुण्डी, पिता- स्व० राम सुण्डी, ग्राम- नरसण्डा, टोला- तोन्डगबासा, थाना- मुफसिल, जिला प० सिंहभूम झारखण्ड के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वयं के नाम से नामान्तरण मुकदमा सं० 149/2001-2002 द्वारा नामारित होकर है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।</p>	
	<p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-520, दिनांक 16.07.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान मरम्मति हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता सेलाय सुण्डी, पिता-स्व० राम सुण्डी, ग्राम- नरसण्डा, टोला-तोन्डगबासा, थाना-मुफसिल, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p>	
	<p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।</p>	
	<p>अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक दुम्बी बोयपाई, पिता-स्व० नागेन्द्र बोयपाई, ग्राम-गंजडा, टोला- बानागुट्ट, थाना-मुफसिल, जिला पं० सिंहभूम ने क्रेता सेलाय सुण्डी, पिता- स्व० राम सुण्डी, ग्राम- नरसण्डा, टोला- तोन्डगबासा, थाना- मुफसिल, जिला पं० सिंहभूम के पास 3,06,000.00 (तीन लाख छः हजार) रूपया मौजा- लुपुंगुट्ट, थाना नं०-645, खाता नं०-215, प्लॉट नं०-92, रकबा- 0.10 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।</p>	
	लेखापित	
	<p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	<p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा</p>